भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4631

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकरण

4631. श्री अजय कुमार मंडल :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भागलपुर जिले सहित बिहार में अब तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकृत विश्वकर्माओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन व्यवसायों का ब्यौरा क्या है जिनमें कारीगरों को अपने कौशल को निखारने में मदद करने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्षित लाभार्थियों को जमानत मुक्त ऋण तक आसान सुलभता प्रदान करने और ब्याज अनुदान प्रदान करके ऋण की लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : 18 व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों, जो अपने हाथों और औजारों से कार्य करते हैं, को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा की शुरुआत की गई थी। दिनांक 18.08.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत बिहार राज्य से 1.62 लाख लाभार्थियों को तथा भागलपुर जिले से 5,795 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है।

(ख) : इस स्कीम में 18 व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों अर्थात (i) कारपेंटर (सुथार/बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) अस्त्रकार; (iv) धातुकर्मी/धातु कॉस्टर; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार); (viii) पॉटर (कुम्हार); (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) कॉबलर (चर्मकार)/ जूते बनाने वाला/फुटवियर कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ु बनाने वाला/कॅयर बुनकर; (xiii) गुडिया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) बार्बर (नाई); (xv) गारलैंड मेकर (मालाकार); (xvi) वॉशरमैन (धोबी); (xvii) टेलर (दर्जी); और (xviii) मछली का जाल बनाने वाला शामिल हैं। बिहार में 1,04,986 पीएमवी लाभार्थियों को आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा भागलपुर जिले में 3,888 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बिहार में प्रत्येक व्यापार में आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ग) : पीएम विश्वकर्मा के तहत, दो किश्तों में 3 लाख रुपए तक के ऋण सहायता के साथ 5 प्रतिशत की तय रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थी 18 माह के पुनर्भुगतान अवधि के साथ 1 लाख रुपए तक के प्रथम ऋण किश्त का लाभ उठा सकते हैं। पीएमवी लाभार्थी पहली ऋण किश्त के पुनर्भुगतान के बाद 2 लाख रुपए तक की दूसरी ऋण किश्त का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार 8 प्रतिशत तक ब्याज छूट में योगदान प्रदान करती है। पीएम विश्वकर्मा के तहत कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं और ऋण कवरेज को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है।

******

अनुंबध – I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4631, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-।

बिहार में आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त पीएमवी लाभार्थियों की संख्या

व्यापार का नाम	पूर्ण किए गए आधारभूत कौशल प्रशिक्षण
टोकरी/चटाई/झाड़ु बनाने वाला/कॅयर बुनकर	18,383
गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)	14,108
कारपेंटर (सुथार/बढ़ई)	12,918
मेसन (राजमिस्त्री)	10,362
बार्बर (नाई)	7,267
धातुकर्मी/धातु कॉस्टर (धातु-शिल्पी)	6,010
टेलर (दर्जी)	5,603
कॉबलर (चर्मकार)/ जूते बनाने वाला/फुटवियर कारीगर	4,871
मछली का जाल बनाने वाला	4,706
पॉटर (कुम्हार)	4,370
गोल्डस्मिथ (सुनार)	4,259
गारलैंड मेकर (मालाकार)	4,151
हथौड़ा और टूल किट निर्माता	3,953
वॉशरमैन (धोबी)	1,764
स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला	1,687
नाव निर्माता	263
ताला बनाने वाला	243
अस्त्रकार	68
सकल योग	**1,04,986**